

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 49/2018

बलरामसिंह पुत्र गोकुलराम जाति मेघवाल निवासी टोडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
-वादी

बनाम

1. महेशकुमार पुत्र जगनलाल
 2. संतोष
 3. सरोज पुत्रियां जगनलाल जाति मेघवाल निवासीगण खिरोड तहसील नवलगढ
 4. रिशाल
 5. ओमप्रकाश
 6. बजरंग
 7. सुरेन्द्रकुमार पुत्रान बालूराम
 8. चावली पुत्री बालूराम जाति नायक निवासी कारी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
 9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
- प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा, विभाजन

वकील वादी - श्री शिशुपाल सिंह

वकील प्रतिवादी -

निर्णय

वादवादीगण दिनांक 28.01.2019 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मोका कमीशनर नियुक्त किया गया तथा मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2019/551 दिनांक 04.04.2019 प्रस्तुत किया जाने पर बहस वकील वादीगण सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने में कोई एतराज नहीं होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद न्यायोचित होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम कारी की भूमि ख.न. 1273/0.87, 1274/1.47 किता 2 कुल रकबा 2.34 है0 का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. भूमि ख.न. 1274/0.30 है0 का बलरामसिंह पुत्र गोकुलराम जाति मेघवाल निवासी टोडी तहसील उदयपुरवाटी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. भूमि ख.न. 1273/0.87, 1274/1/1.17 किता 2 कुल रकबा 2.04 है0 का महेशकुमार पुत्र जगनलाल संतोष सरोज पुत्रियां जगनलाल जाति मेघवाली निवासी खिरोड रिशाल ओमप्रकाश बजरंग सुरेन्द्रकुमार पि0 बालूराम चावली पुत्री बालूराम जाति नायक सा.देह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैंड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/8/19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा : घोषणार्थ, रिकार्ड दुरुस्ती

मुकदमा सं०:- 180/2018 (बलरामसिंह बनाम महेश कुमार आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी.वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.01.2019 के अनुसार वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम कारी की भूमि ख.न. 1273/0.87, 1274/1.47 किता 2 कुल रकबा 2.34 है० का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. भूमि ख.न. 1274/0.30 है० का बलरामसिंह पुत्र गोकुलराम जाति मेघवाल निवासी टोडी तहसील उदयपुरवाटी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. भूमि ख.न. 1273/0.87, 1274/1/1.17 किता 2 कुल रकबा 2.04 है० का महेशकुमार पुत्र जगनलाल संतोष सरोज पुत्रियां जगनलाल जाति मेघवाली निवासी खिरोड रिशाल ओमप्रकाश बजरंग सुरेन्द्रकुमार पि० बालूराम चावली पुत्री बालूराम जाति नायक सा.देह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दसमद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

जिन..... मुबलिंग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करे। बसकत मेरे देस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 19 माह 08 सन.2019 को जारी की गई।

22/19/19
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मुहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00